



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032025-261709
CG-DL-E-19032025-261709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1229]

नई दिल्ली मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946

No. 1229]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

का.आ. 1242(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 660 (अ), दिनांक 27 सितंबर, 1996, का.आ. 887(अ) दिनांक 5 अगस्त, 2004 और का.आ. 2221(अ) दिनांक 09 सितंबर, 2009 द्वारा क्रमशः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (पुराना एनएच-9) के किलोमीटर 217.000 से किलोमीटर 265.000, किलोमीटर 215.800 से किलोमीटर 217.000 (नंदीगामा-विजयवाडा खंड) और किलोमीटर 40.000 से किलोमीटर 215.800 (हैदराबाद-विजयवाडा खंड) के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और आज तक किए गए परवर्ती संशोधनों (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 06.06.2012 की अधिसूचना का.आ. 1299 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद-विजयवाडा खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के चेनेज कि.मी. 40.000 से किमी 221.500 तक के चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 158.9998 कि.मी. की निवल सङ्क खंड लंबाई

(सारणी-2) तथा 7.602 कि.मी. (0.7602 किलोमीटर की लंबाई वाली) (सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु या उससे अधिक की लागत वाले 21.750 कि.मी. (सारणी-3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर, शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसारः-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थातः-

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में पंथंगी गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 60.650 पर	45.450 [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर)] संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में कोरलाफाडु गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 118.250 पर	66.5516 [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर कृष्णा जिले में चिल्लाकल्लू गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 205.025 पर	46.9982 [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर)] संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	158.9998	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में पंथंगी गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 60.650 पर	नार्केटपल्ली			4.000	51.60	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में कोरलाकाडु गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 118.250 पर	नाकरेकल	85+200	89+200	5.150	60.60	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर कृष्णा जिले में चिल्लाकल्लू गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 205.025 पर	कोदादा	110+300	115+450	9.000	62.22	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर कृष्णा जिले में चिल्लाकल्लू गांव शेर के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 205.025 पर	मोहम्मद पेटा	195+500	199+100	3.600	28.14	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
कुल				21.750		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तेलंगाना राज्य के नलगोड़ा जिले में पंथर्गी गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 60.650 पर	-	-	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
तेलंगाना राज्य के नलगोड़ा जिले में कोरलाफाडु गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 118.250 पर	0.5784	5.784	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर कृष्णा जिले में चिल्लाकल्लू गांव के पास एनएच-65 (पुराना एनएच-9) के किमी 205.025 पर	0.1818	1.818	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लंबाई	0.7602	7.602	

*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का व्योरा इस प्रकार है:

डिजाइन चेनेज	संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
से (किमी)	तक (किमी)	
100+565	100+715	बड़ा पुल 0.150
126+622	127+051	बड़ा पुल 0.4284
191+143	191+324	बड़ा पुल 0.1818
60 मीटर से अधिक कुल संरचना लंबाई		0.7602

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2024-25 के लिए 340/-रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यत की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचलित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1387.21 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन-सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा.सं. टीजीडीआईवी-20013/13/2024-पीआईयू हैदराबाद/ई-240637]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2025

S.O. 1242(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.660(E), dated the 27th of September, 1996, S.O.887(E) dated the 5th August, 2004 and S.O.2221(E) dated the 09th September, 2009, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Kilometer 217.000 to Kilometer 265.000, Kilometer 215.800 to Kilometer 217.000 (Nandigama–Vijayawada section) and Kilometer 40.000 to Kilometer 215.800 (Hyderabad – Vijayawada section) of National Highway No. 65 (Old NH-9) in the state of Telangana and Andhra Pradesh respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and subsequent amendments till date (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of the Notification No. S.O.1299(E) dated 06.06.2012, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of Table 1 for net road section length of 158.9998 km [Table- 2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.602 Kilometer (having length of 0.7602 Kilometer [Table-4]) and at one and one half times of the base rate of By-passes having length of 21.750 Kilometer [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for use of four or more lane of Hyderabad – Vijayawada section of NH-65 from Chainage Km 40.000 to Km 221.500 in the State of Telangana and Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, as under:-

Table 1

Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or EarthMoving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Over Sized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:

Table-2

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 60.650 of NH-65 (Old NH-9) near Panthangi Village in Nalgonda District of Telangana State	45.450 [excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of Structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 118.250 of NH-65 (Old NH-9) near Korlaphadu Village in Nalgonda District of Telangana State	66.5516 [excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of Structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 205.025 of NH-65 (Old NH-9) near Chillakallu Village in NTR Krishna District of Andhra Pradesh State	46.9982 [excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of Structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total		158.9998

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km 60.650 of NH-65 (Old NH-9) near Panthangi Village in Nalgonda District of Telangana State	Narketpally	85+200	89+200	4.000	51.60	150% for four or more lane, of the base rates in Table-1 above
At Km 118.250 of NH-65 (Old NH-9) near Korlaphadu Village in Nalgonda District of Telangana State	Nakrekal	110+300	115+450	5.150	60.60	150% for four or more lane, of the base rates in Table-1 above

At Km 205.025 of NH-65 (Old NH-9) near Chillakallu Village in NTR Krishna District of Andhra Pradesh State	Kodada	175+000	1h84+000	9.000	62.22	150% for four or more lane, of the base rates in Table-1 above
At Km 205.025 of NH-65 (Old NH-9) near Chillakallu Village in NTR Krishna District of Andhra Pradesh State	Sher Mohammad Peta	195+500	199+100	3.600	28.14	150% for four or more lane, of the base rates in Table-1 above
Total				21.750		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 60.650 of NH-65 (Old NH-9) near Panthangi Village in Nalgonda District of Telangana State	-	-	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 118.250 of NH-65 (Old NH-9) near Korlaphadu Village in Nalgonda District of Telangana State	0.5784	5.784	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 205.025 of NH-65 (Old NH-9) near Chillakallu Village in NTR Krishna District of Andhra Pradesh State	0.1818	1.818	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Length	0.7602	7.602	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	100+565	100+715	Major Bridge	0.150
2	126+622	127+051	Major Bridge	0.4284
3	191+143	191+324	Major Bridge	0.1818
Total Structure Length > 60m				0.7602

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the Fee plaza is Rs. 340/- (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2024 – 2025 and is subject to revision every year as per the provisions of said Fee Rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007 – 2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1387.21 Crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc., are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. TGDIV-20013/13/2024-PIU Hyderabad/E-240637]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.